न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2025/171 दर्ज तिथिः—05.05.2025

1. गोमाराम पुत्र मंगलाराम
   जाति जाट निवासी डाबली पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   ....प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारक जरीये राज्य सरकार तहसीलदार गुडामालानी
2. अचलाराम पुत्र मेहाराम
3. तोगाराम पुत्र मेहाराम
4. धापूदेवी पत्नी मेहाराम
   जाति जाट निवासी डाबली पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   ....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः—श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः—
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17/2.8733 है0 मौजा डाबली पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर प्रार्थी की खातेदारी आराजी है।
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17/1/2.8733 है0 मौजा डाबली पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 की खातेदारी आराजी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:48 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 की उक्त खातेदारी आराजी मूल खसरा संख्या 17 रकबा 36—14 बीघा से विभक्त होकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उपर्युक्त बिन्दु अनुसार संधारित है।
- कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के द्वारा मूल खसरा संख्या 17 में से 08 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु समर्पित की गई थी। जिसका समर्पण आदेश दिनांक 27.11.2009 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा जारी किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा हल्का पटवारी को उक्त समर्पित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये गये थे। परंतु हल्का पटवारी द्वारा उक्त समर्पण आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद आदिनांक तक नहीं किया गया है। तत्पश्चात् प्रार्थी को उक्त अमलदरामद की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके संबंध में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पुनः दिनांक 25.03.2025 को उक्त समर्पण आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु निर्देशित किया गया है।
- कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 की संयुक्त आराजी में से पूर्व आदेशानुसार समर्पित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु आवेदन किया जा रहा है। साथ ही उक्त समर्पित भूमि मौके पर परम्परागत रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है तथा उक्त रास्ता मौके पर बारहमासी चालू है।
- अंत में प्रार्थी द्वारा मूल खसरा संख्या 17 के विभाजन से संधारित हाल खसरा संख्यान में से समान रूप से पूर्व में जारी समर्पण आदेश के आधार पर नामांतरकरण दर्ज कर राजस्व लट्ठा नक्शा में सही तरमीम दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 03 जरिये अधिवक्ता हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थीगण संख्या 03 द्वारा प्रार्थना—पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया किः—

- कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पूर्वाधिकारी की आवेदन वर्णित आराजी खसरा संख्या 17 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा मौजा नई डाबली तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित थी। उक्त खसरे के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 20 के सेढे खसरा संख्या 18 की सीमा में जाने हेतु रास्ता उपयोग हेतु खसरा संख्या 17 के खातेदारों द्वारा रकबा 08 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई थी। उक्त समर्पित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं किया गया है।
- कि उक्त खसरा संख्या 17 में से पश्चिमी सेढे पर सरहद मौजा बेरीगावं की सीमा पर रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि नर्मदा नहर के लिये अवाप्त की गई थी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:48 IST
Reason: SelfAttested

- कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा पक्षकारान द्वारा समर्पित भूमि 08 बिस्वा एवं नर्मदा नहर हेतु अवाप्त भूमि का नामांतरकरण नहीं खोला गया।
- कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 16.12.2010 को आपसी सहमति से रास्ते की भूमि व नर्मदा नहर के लिये अवाप्त भूमि को छोड़कर शेष बचे रकबे का विभाजन करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। परंतु तहसीलदार गुड़ामालानी एवं अधिनस्थ राजस्व कार्मिकों द्वारा आपसी सहमति विभाजन केवल नर्मदा नहर हेतु अवाप्त भूमि को छोड़ते हुए तैयार कर बंटवारा कर दिया। जबकि नर्मदा नहर के साथ—साथ समर्पित भूमि को भी बंटवारे से अलग रखना था। परंतु ऐसा नहीं किया होने से वर्तमान रिकॉर्ड में विसंगति पैदा हो गई है।
- कि प्रकरण में रास्ते हेतु समर्पित भूमि व नर्मदा नहर हेतु अवाप्त भूमि में रकबा 0.0060 है0 का सामलाती क्षेत्र है। जो नर्मदा नहर के नाम दर्ज हो चुका है। अब समर्पित भूमि का रकबा 0.0588 है0 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज होने से शेष रह गया है। जिसको मूल खसरा संख्या 17 (वर्तमान खसरा संख्या 17 एवं 17/1 में से बराबर रकबा 0.0294 है0 प्रत्येक खसरे में कम कर) राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार मूल खसरा संख्या 17 में नर्मदा नहर के नाम दर्ज खसरा संख्या 17/2 रकबा 0.19422 है0 दर्ज हो चुका है। अब शेष रकबे में से रकबा 0.0588 है0 वर्तमान खसरा संख्या 17 व 17/1 में बहिस्सा बराबर कम किया जाकर खसरा संख्या 17 का रबा 2.8440 है0 व खसरा संख्या 17/1 का रकबा 2.8440 है0 किया जाना उचित है तथा जवाब के साथ संलग्न परिशिष्ट—डी के अनुसार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 03 को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही मौके की स्थिति भी परिशिष्ट—डी के अनुसार ही है।
- कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाही गई इश्तदुआ एवं मौके से भिन्न होने एवं प्रार्थी को अदेय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मनगढत तथ्यों के आधार पर उक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई होने से उक्त मौका रिपोर्ट काबिल—ए—खारिज है।

5. प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मूल खसरा से विभक्त हुए खसरों की तरमीम मुताबिक वर्तमान कब्जा काश्त के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 17 एवं 17/1 सेढासेढ अवस्थित है। अप्रार्थी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—डी प्रस्तुत कर परिशिष्ट—डी के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—डी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:48 IST
Reason: SelfAttested

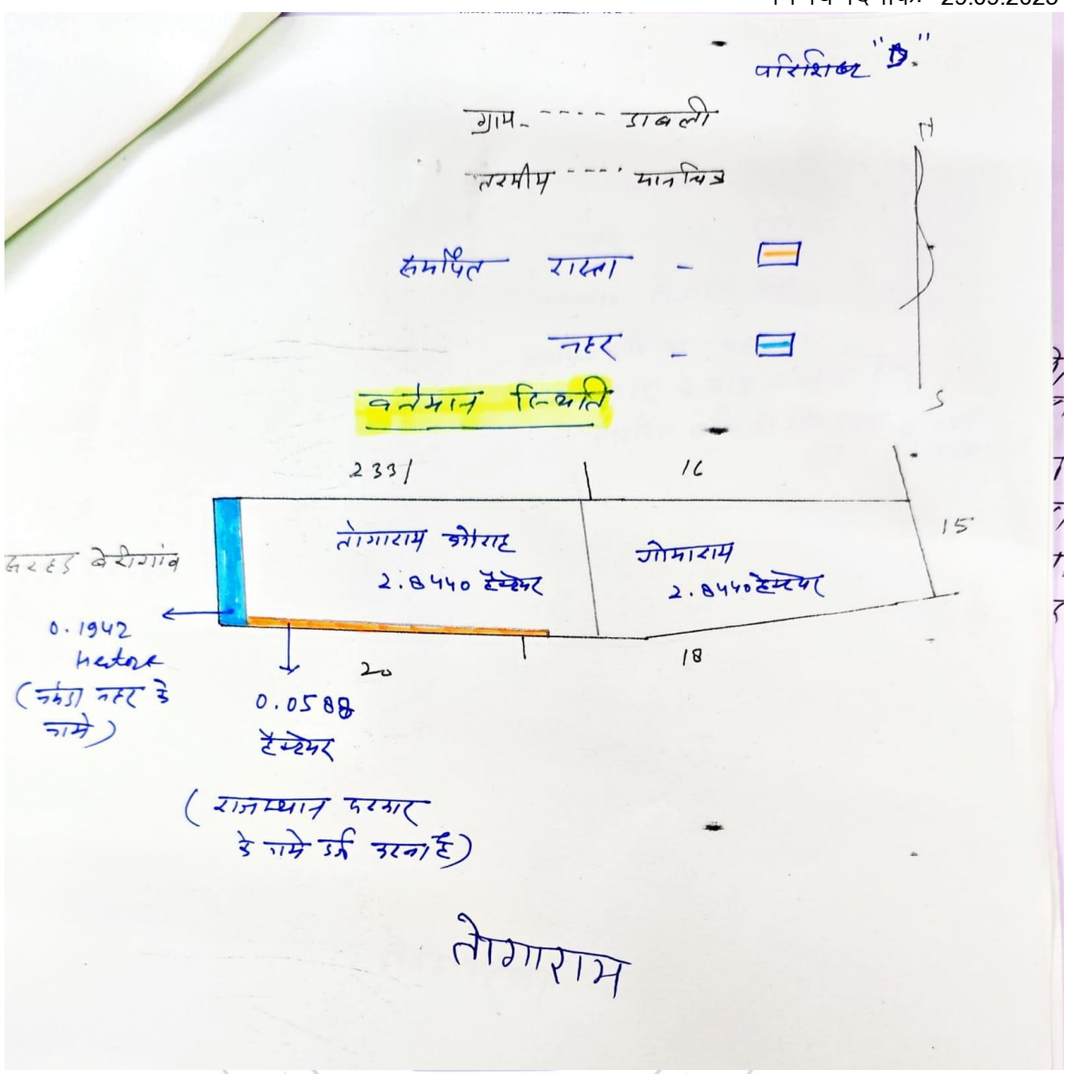

7. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—डी के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1236 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1236 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:48 IST
Reason: SelfAttested

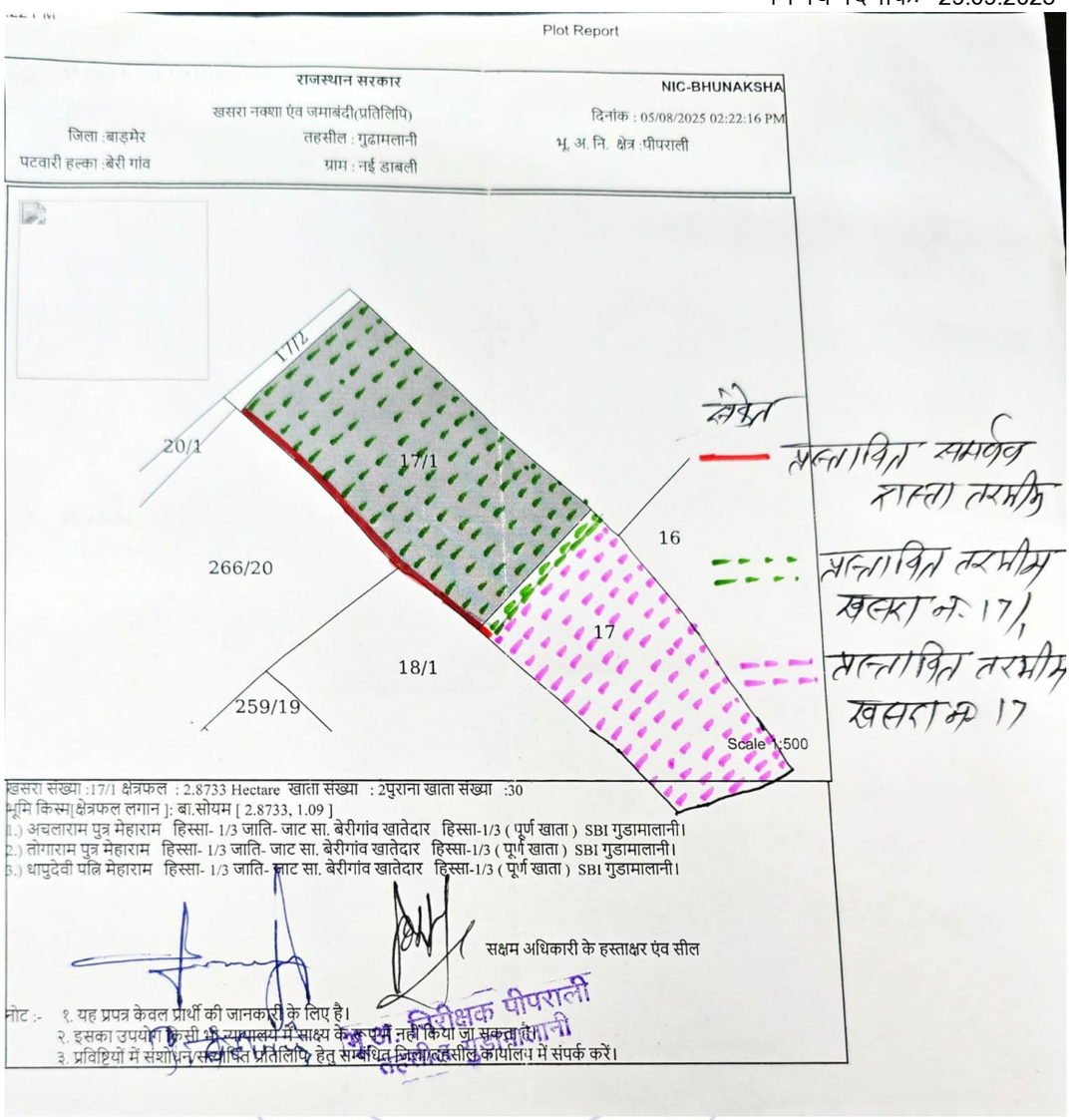

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1236 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:—

- कि राजस्व ग्राम डाबली (वर्तमान ग्राम नई डाबली) के मूल खेत खसरा संख्या 17 रकबा 36—14 बीघा में से 08 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया था। लेकिन समर्पण आदेश की पालना में नामांतरकरण इन्द्राज नहीं किया गया था।
- कि उक्त समर्पण आदेश की पालना में नामांतरकरण दायर करने से पूर्व में खसरा संख्या 17 का आपसी सहमति से विभाजन करवा दिया गया। जिसका नामांतरकरण इन्द्राज किया जा चुका है। जिससे मूल खसरा संख्या 17 के दो टुकड़े 17/2.8733 है0 व 17/1/2.8733 है0 हो गए हैं।
- कि वर्तमान में प्रार्थी का खसरा संख्या 17 व अप्रार्थीगण का खसरा संख्या 17/1 में काबिज काश्त हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:48 IST
Reason: SelfAttested

- कि पूर्व में किये गये समर्पण आदेश की पालना में नामांतरकरण इन्द्राज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खसरा संख्या 17 तक पहुंचने हेतु रास्ते से वंचित है।
- कि पूर्व में किये गये समर्पण आदेश अनुसार अब नामांतरकरण दायर करने पर केवल अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 17/1 में से भूमि समर्पित होती है। जबकि समर्पण आदेश में प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों का समान हिस्सा समर्पित किया गया था।
- कि वर्तमान में सहमति विभाजन अनुसार प्रार्थीगण के खसरा संख्या 17 तक पहुंचने हेतु मौका एवं रिकॉर्ड अनुसार 0—11 बीघा भूमि समर्पण की आवश्यकता है।
- कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 17 तक पहुंचने हेतु वर्तमान खसरा संख्या 17/1 रकबा 2.8733 है0 में से रास्ते हेतु रकबा 0.0890 है0 भूमि प्रस्तावित की जानी है। रास्ता प्रस्तावित करने के पश्चात् खसरा संख्या 17 का रकबा 2.8288 है0 व खसरा संख्या 17/1 का रकबा 2.8733 है0 के स्थान पर 2.8288 है0 किया जाना उचित है।

9. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1236 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 17 मौजा डाबली में अवस्थित था। उक्त खसरा संख्या 17 के लगते हुए नर्मदा नहर की वितरिका चलायमान है। उक्त संयुक्त खातेदारी का प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य विभाजन करवाया गया। उक्त विभाजन के पश्चात अप्रार्थी को नर्मदा नहर की वितरिका के लगते हुए खसरा संख्या 17/1 तथा प्रार्थी को नर्मदा नहर की वितरिका से दूर खसरा संख्या 17 की आराजी के अनुसार विभाजन करते हुए पृथक्—पृथक् खाता कायम किये गये। प्रकरण में पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी के विभाजन के समय ही प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता कायम किया जाना उचित था। यहा यह उल्लेखनीय है कि एक संयुक्त खातेदारी में से विभाजन किये जाने पर पृथक होने वाले प्रत्येक खाते की आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते की पहुंच उपलब्ध करवाया जाना विधिसंगत है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एक संयुक्त खातेदारी में से विभाजन किये जाने पर पृथक होने वाले प्रत्येक खाते की आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते की पहुंच उपलब्ध करवाने हेतु रास्ते में समाहित हुई आराजी को समस्त खातेदारो के रकबे से कम किया जाना विधिसंगत है। अर्थात् संयुक्त आराजी के कुल रकबे में से रास्ते में समाहित होने वाली आराजी को सर्वप्रथम कम किया जाकर शेष आराजी में से संयुक्त खातेदारो के मध्य उनके हिस्से अनुसार आराजी का विभाजन किया जाना विधिसंगत है। परंतु प्रकरण में प्रार्थी को विभाजन के पश्चात प्राप्त खसरा संख्या 17 तक रास्ता कायम नहीं किया गया है। इस अनुतोष को लेकर प्रार्थी द्वारा यह तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक रास्ते की पहुंच हेतु कुछ आराजी का समर्पण किया जा चुका है। परंतु तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1236 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:48 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक रास्ते की पहुंच हेतु समर्पित भूमि पर्याप्त नहीं है। अतः प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक रास्ते की पहुंच हेतु समर्पित भूमि के अंकन के पश्चात प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक पहुंच रास्ता हेतु शेष भूमि का रास्ते के रूप में अंकन करते हुए तरमीम किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक रास्ते की पहुंच हेतु समर्पित भूमि के अंकन के पश्चात प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक पहुंच रास्ता हेतु शेष भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रखते हुए भूमि वर्गीकरण गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक रास्ते की पहुंच हेतु समर्पित भूमि के अंकन के पश्चात प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक पहुंच रास्ता हेतु शेष भूमि का रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी आराजी में से समान रूप से कम करते हुए वर्तमान तरमीम इस अनुरूप समायोजित व संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/1236 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा एवं उक्तानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/1236 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक रास्ते की पहुंच हेतु समर्पित भूमि के अंकन के पश्चात प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक पहुंच रास्ता हेतु शेष भूमि का रास्ते के रूप में अंकन व तरमीम करते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक रास्ते की पहुंच हेतु समर्पित भूमि के अंकन के पश्चात प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक पहुंच रास्ता हेतु शेष भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रखते हुए भूमि वर्गीकरण गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक रास्ते की पहुंच हेतु समर्पित भूमि के अंकन के पश्चात प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 17 तक पहुंच रास्ता हेतु शेष भूमि का रकबा प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी आराजी में से समान रूप से कम करते हुए वर्तमान तरमीम इस अनुरूप समायोजित व संशोधित तरमीम दुरूस्ती किये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:48 IST
Reason: SelfAttested

जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:48 IST
Reason: SelfAttested